न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुधारानी मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
27/2020	27.07.2020	26/02/26

प्यारेलाल पुत्र रामफल, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर —प्रार्थी

बनाम

बद्री पुत्र भौरया, मीना निवासी फुलवाडा तह0 वजीरपुर —अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित :– श्री मोहम्मद इस्लाम, एडवोकट, प्रार्थी की ओर से

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 1094 रकबा 0.40 है0 ग्राम फुलवाडा तह0 वजीरपुर मे स्थित है। प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के पूर्व दिशा मे उत्तर से दक्षिण लगेवा अप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है। अप्रार्थी आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि की डौलमेड को तोड देता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1094 रकबा 0.40 है0 ग्राम फुलवाडा तह0 वजीरपुर की पत्थरगढी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकोपी नकल जमाबंदी संवत 2074–77 खाता संख्या 272 ग्राम फुलवाडा, नकल नक्शा ट्रेस, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.7.20 प्रस्तुत किये है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0न0 1094 रकबा 0.40 है0 ग्राम फुलवाडा तह0 वजीरपुर का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 1094 रकबा 0.40 है0 ग्राम फुलवाडा तह0 वजीरपुर की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह मौके पर स्वयं जाकर पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 1094 रकबा 0.40 है0 ग्राम फुलवाडा तह0 वजीरपुर पर पत्थरगढी करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य–प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26/2/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudha Rani Meena
Date: 2026.04.07 17:14:43 IST
Reason: SelfAttested